रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2014] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 30, 2014/आश्विन 8, 1936
No. 2014] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 30, 2014/ASVINA 8, 1936

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 सितम्बर, 2014

का.आ.2552(अ).––केन्द्रीय सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उप–धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 1200(अ) तारीख 30 अप्रैल, 2014, जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 03 मई, 2014, में प्रकाषित की गई थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पंजाब राज्य में बठिंडा से जम्मू (जम्मू कष्मीर) तक प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड (जीआइजीएल) द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन के अपने आषय की घोषणा की थी;

और उक्त असाधारण राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को तारीख 05.08.2014 तक उपलब्ध करा दी गई थी ;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पष्चात्, और यह समाधान हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिष्चय किया है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ;

और केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह निदेष देती है कि उक्त भूमि में उपयोग का अधिकार इस घोषणा के प्रकाषन की तारीख से केन्द्रीय सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड़ (जीआइजीएल) में निहित होगा।

पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन अधिनियम, 1962 की धारा 10 के अध्यधीन किसी भी क्षतिपूर्ति के लिए जीएसपीएल इंडिया गैसनेट लिमिटेड़ (जीआइजीएल) पूर्णतया उत्तरदायी होगी और पाइपलाइन से सम्बन्धित किसी भी मामले पर केन्द्रीय सरकार के विरूद्ध कोई वाद, दावा या कानूनी कार्यवाही नहीं हो सकेगी।

अनुसूची

तहसील : बाबा बकाला		जिला : अमृतसर	राज्य : पंजाब		
क्रम सं.	ग्राम का नाम	खसरा नं.	क्षेत्रफल		
			हेक्टेयर	एयर	वर्ग मीटर
1	2	3	4	5	6
1	टकापुर	28//3/1	00	00	79
	(अेच.बी. नं. 64)				
2	खॅबे राजपुतां	91//4/1	00	01	33
	(अेच.बी. नं. 65)				
3	मेहता	71//21/1	00	01	60
	(अेच.बी. नं. 68)	81//1/4	00	00	40
4	नंगली	10//13/3	00	02	01
	(अेच.बी. नं. 69)	10//8/4	00	00	40
		5//21	00	02	85
		6//25/3	00	00	90
5	घोहाटविंड हिंदवां	27//10	00	02	41
	(अेच.बी. नं. 104)	खसरा नं. 27//10 और 26//15 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	01	30
6	घोहाटविंड मुसलमानां	35//14	00	00	45
	(अेच.बी. नं. 105)	खसरा नं. 35//19 और 34//25 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	03	26
7	उसमा	55//21/1	00	00	40
	(अेच.बी. नं. 103)	55//21/2	00	01	35
		61//19	00	04	26
		59//2/1	00	01	08
		59//2/2	00	03	08
		59//1/1	00	12	28
		60//4	00	13	71
8	महिसमपुर खुर्द	6//6/1	00	00	79
	(अेच.बी. नं. 74)	6//6/2	00	04	43
9	धरमूचॅक	29//14	00	01	60
	(अेच.बी.नं. 101)				
तहसील : बाबा बकाला /तरसिॅका		जिला : अमृतसर	राज्य : पंजाब		
1	बिंजरवाल	63	00	00	78
	(अेच.बी. नं.100)				

2	तनेल	63 / / 25	00	03	06
	(अेच.बी. नं.112)				
3	तरसिंका	14 / / 21	00	00	79
	(अेच.बी. नं.116)	13 / / 25 / 2	00	09	73
		28 / / 3	00	02	42
तहसील : अमृतसर–1		जिला : अमृतसर	राज्य : पंजाब		
1	फतिहपुर राजपूतां	34 / / 15	00	02	61
	(अेच.बी.नं. 254)	42 / / 12 / 2	00	01	38
		42 / / 12 / 1 / 1	00	01	29
		42 / / 12 / 1 / 2			
		42 / / 20 / 1	00	00	40
		खसरा नं. 42 / / 12 / 2 और 42 / / 20 / 2 के बीच में (सरकारी रोड)	00	02	13
		42 / / 11 / 2	00	05	65
		42 / / 20 / 2	00	02	74
		43 / / 16	00	11	15
		43 / / 15	00	02	52
		43 / / 17 / 1 / 2	00	10	74
		43 / / 17 / 1 / 1	00	02	54
		43 / / 17 / 2	00	00	50
		43 / / 18	00	13	66
		43 / / 19 / 2 / 1	00	04	44
		43 / / 19 / 2 / 2	00	08	91
		43 / / 22 / 1	00	00	50
		43 / / 21 / 1 / 1	00	06	04
		43 / / 21 / 2	00	00	50
		43 / / 20 / 2	00	07	12
		44 / / 25 / 2 / 2	00	00	50
		44 / / 25 / / 2 / 1	00	05	26
		44 / / 16 / 2 / 1	00	00	49
		44 / / 25 / 1 / 2	00	02	71
		44 / / 25 / 1 / 1	00	04	81
		44 / / 24 / 1	00	13	66
		44 / / 23 / 2	00	12	63
		44 / / 23 / 2 / 2			
		44 / / 23 / 1	00	01	03
		खसरा नं. 44 / / 23 / 1 और 44 / / 22 / 2 / 2 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	68
		44 / / 22 / 2 / 2	00	02	39
		44 / / 22 / 2 / 1	00	09	30
		44 / / 21 / 1	00	06	74
		44 / / 21 / 2			
		121 / 1	00	14	14
		53 / / 2 / 1	00	01	28
		53 / / 1 / 1	00	00	68

	फतिहपुर राजपूतां	45 / / 16	00	09	89
	(अेच.बी.नं. 254)	45 / / 17	00	14	21
	(जारी.....)	45 / / 18 / 1	00	06	53
		45 / / 18 / 2	00	03	03
		45 / / 23 / 2	00	00	40
		45 / / 23 / 1	00	04	66
		45 / / 22	00	14	08
		45 / / 19 / 1	00	00	40
		45 / / 21 / 1	00	00	50
		45 / / 21 / 2	00	12	34
		खसरा नं. 45 / / 21 / 2 और 46 / / 25 के बीच में (सरकारी रास्ता)	00	00	40
		52 / / 1 / 1	00	00	40
		46 / / 25	00	00	40
2	नवा पिंड	41 / / 9 / 2 / 2	00	04	57
	(अेच.बी.नं. 170)	40 / / 13	00	02	49

[फा. सं. एल–14014/23/2013–जीपी]

श्रीप्रकाश, अग्रवाल, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd September, 2014

S.O. 2552 (E).—Whereas by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. No. 1200(E) dated the 30th April, 2014, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated the 3rd May, 2014, the Central Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline in State of Punjab for transportation of Natural Gas from Bathinda (Punjab) to Jammu (J&K) by GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL);

And whereas copies of the said Extra Ordinary Gazette notification were made available to the public up to 05.08.2014;

And whereas the competent authority has under sub-section (1) of Section 6 of the said Act submitted report to the Central Government;

And whereas the Central Government, after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipeline, has decided to acquire right of user therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby directs that the right of user in the said land for laying the pipeline shall, instead of vesting in the Central Government, vest on the date of publication of the declaration, in GSPL INDIA GASNET LIMTED (GIGL), free from all encumbrances.

GSPL INDIA GASNET LIMITED (GIGL) shall be exclusively liable for any compensation in terms of Section 10 of the P&MP Act, 1962 and no suit, claim or legal proceeding would lie against the Central Government on any matter relating to the pipeline.

SCHEDULE

TEHSIL : BABA BAKALA		**DISTRICT : AMRITSAR**	**STATE : PUNJAB**		
Sr. No.	**Name of the Village**		**Area**		
			Hectare	**Are**	**Sq.mtr.**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	TAKAPUR	28//3/1	00	00	79
	(H.B. No. 64)				
2	KHABE RAJPUTAN	91//4/1	00	01	33
	(H.B. No. 65)				
3	MEHTA	71//21/1	00	01	60
	(H.B. No. 68)	81//1/4	00	00	40
4	NANGALI	10//13/3	00	02	01
	(H.B. No. 69)	10//8/4	00	00	40
		5//21	00	02	85
		6//25/3	00	00	90
5	GHOHATWIND HINDWAN	27//10	00	02	41
	(H.B. No. 104)	In Bet Khasra No. 27//10 & 26//15 (G/L Cart Track)	00	01	30
6	GHOHATWIND MUSALMANA	35//14	00	00	45
	(H.B. No. 105)	In Bet Khasra No. 35//19 & 34//25 (G/L Cart Track)	00	03	26
7	USMA	55//21/1	00	00	40
	(H.B. No. 103)	55//21/2	00	01	35
		61//19	00	04	26
		59//2/1	00	01	08
		59//2/2	00	03	08
		59//1/1	00	12	28
		60//4	00	13	71
8	MEHSAMPUR KHURD	6//6/1	00	00	79
	(H.B. No. 74)	6//6/2	00	04	43
9	DHARMUCHAK	29//14	00	01	60
	(H.B. No. 101)				
TEHSIL : BABA BAKALA / TARSIKKA		DISTRICT : AMRITSAR	STATE : PUNJAB		
1	BINJARWAL	63	00	00	78
	(H.B. No. 100)				
2	TANEL	63//25	00	03	06
	(H.B. No. 112)				
3	TARSIKKA	14//21	00	00	79
	(H.B. No. 116)	13//25/2	00	09	73
		28//3	00	02	42
TEHSIL : AMRITSAR -1		DISTRICT : AMRITSAR	STATE : PUNJAB		
1	FATEHPUR RAJPUTAN	34//15	00	02	61
	(H.B. No. 254)	42//12/2	00	01	38
		42//12/1/1	00	01	29
		42//12/1/2			
		42//20/1	00	00	40
		In Bet Khasra No. 42//12/2 & 42//20/2 (G/L Mattaled Road)	00	02	13
		42//11/2	00	05	65
		42//20/2	00	02	74

	FATEHPUR RAJPUTAN	43//16	00	11	15
	(H.B. No. 254)	43//15	00	02	52
	(Cont….)	43//17/1/2	00	10	74
		43//17/1/1	00	02	54
		43//17/2	00	00	50
		43//18	00	13	66
		43//19/2/1	00	04	44
		43//19/2/2	00	08	91
		43//22/1	00	00	50
		43//21/1/1	00	06	04
		43//21/2	00	00	50
		43//20/2	00	07	12
		44//25/2/2	00	00	50
		44//25//2/1	00	05	26
		44//16/2/1	00	00	49
		44//25/1/2	00	02	71
		44//25/1/1	00	04	81
		44//24/1	00	13	66
		44//23/2	00	12	63
		44//23/2/2	00	01	03
		44//23/1			
		In Bet Khasra No. 44//23/1 & 44//22/2/2 (G/L Cart Track)	00	00	68
		44//22/2/2	00	02	39
		44//22/2/1	00	09	30
		44//21/1	00	06	74
		44//21/2			
		121/1	00	14	14
		53//2/1	00	01	28
		53//1/1	00	00	68
		45//16	00	09	89
		45//17	00	14	21
		45//18/1	00	06	53
		45//18/2	00	03	03
		45//23/2	00	00	40
		45//23/1	00	04	66
		45//22	00	14	08
		45//19/1	00	00	40
		45//21/1	00	00	50
		45//21/2	00	12	34
		In Bet Khasra No.45//21/2 & 46//25 (G/L Cart Track)	00	00	40
		52//1/1	00	00	40
		46//25	00	00	40
2	NAVA PIND	41//9/2/2	00	04	57
	(H.B. No. 170)	40//13	00	02	49

[F. No. L-14014/23/2013-GP]

S. P. AGARWAL, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054